सीबीएसई– एक प्रगतिशील राष्ट्रीय बोर्ड

CBSE - A Pace Setting National Board

बोर्ड का इतिहास

बोर्ड को वर्तमान स्तर पर स्थापित करने के लिए वर्षों तक हुई प्रगति महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजूकेशन पहला बोर्ड था जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। राजपूताना, मध्य भारत तथा ग्वालियर इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे और संयुक्त प्रांतों की सरकार द्वारा किए गए अभ्यावेदन के उत्तर में तत्कालीन भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1929 में एक संयुक्त बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया जिसका नाम ''बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना'' रखा गया। इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर शामिल थे।

बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीव्र प्रगति और विस्तार किया जिसके फलस्वरूप इसके संस्थानों में शिक्षा के स्तर एवं स्वरूप में सुधार आया परन्तु राज्यों के विश्वविद्यालयों और देश के विभिन्न भागों में राज्य बोर्ड स्थापित हो जाने से केवल अजमेर, भोपाल और तत्पश्चात् विंध्य प्रदेश ही इसके अधिकार क्षेत्र में रह गए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1952 में बोर्ड में संगठनात्मक संशोधन किए गए जिससे इसका क्षेत्राधिकार भाग–ग और भाग–घ के क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया और बोर्ड को इसका वर्तमान नाम ''केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड'' दिया गया। अंततः, 1962 में बोर्ड का पुर्नगठन किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य थे – शिक्षा संस्थानों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सहयोग प्रदान करना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता–पिता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी थे और निरंतर स्थानान्तरणीय पदों पर कार्यरत थे।

History of the Board

A trail of developments mark the significant changes that took place over the years in shaping up the Board to its present status. U.P. Board of High School and Intermediate Education was the first Board set up in 1921. It had under its jurisdiction Rajputana, Central India and Gwalior. In response to the representation made by the Government of United Provinces, the then Government of India suggested to set up a joint Board in 1929 for all the areas which was named as the 'Board of High School and Intermediate Education, Rajputana. This included Ajmer, Merwara, Central India and Gwalior.

The Board witnessed rapid growth and expansion at the level of Secondary education resulting in improved quality and standard of education in institutions. But with the advent of State Universities and State Boards in various parts of the country the jurisdiction of the Board was confined only to Ajmer, Bhopal and Vindhya Pradesh later. As a result of this, in 1952, the constitution of the Board was amended wherein its jurisdiction was extended to part-C and Part-D territories and the Board was given its present name 'Central Board of Secondary Education'. It was in the year 1962 finally that the Board was reconstituted. The main objectives were those of: serving the educational institutions more effectively, to be responsive to the educational needs of those students whose parents were employed in the Central Government and had frequently transferable jobs.

क्षेत्राधिकार

बोर्ड का अधिकार क्षेत्र व्यापक है और राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी फैला हुआ है। पूर्नगठन के फलस्वरूप पहले दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केन्द्रीय बोर्ड में विलय कर दिया गया और इस प्रकार दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थाएं भी केन्द्रीय बोर्ड का अंग बन गई। तदनन्तर संघ शासित प्रदेश, चण्डीगढ़, अरूणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और अब झारखण्ड, उत्तराचंल एवं छत्तीसगढ़ के स्कूल भी बोर्ड द्वारा सम्बद्ध हैं। वर्ष 1962 में मात्र 309 विद्यालयों से 31.03.2011 तक 11511 विद्यालय बोर्ड से सम्बद्ध है जिनमें 24 अन्य देशों में चल रहे विद्यालय भी शामिल हैं। इनमें कुल 959 केंद्रीय विद्यालय, 1879 सरकारी विद्यालय, 8103 निजी विद्यालय, 553 जवाहर नवोदय विद्यालय एवं 17 केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल सम्मिलित हैं।

विकेन्द्रीकरण

अपने कार्यों को अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि सम्बद्ध विद्यालयों के साथ अनुकूलता बढ़ सके। अभी तक बोर्ड के आठ क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, चेन्नई, इलाहाबाद, गुवाहटी, पंचकुला, दिल्ली, पटना और भुवनेश्वर में स्थित हैं। देश के बाहर स्थित विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के अन्तर्गत आते हैं। सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार परिशिष्ट XXVI में दिया गया है। मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों पर नज़र रखता है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन संबंधी दिन प्रतिदिन के मामले, विद्यालयों से संपक्र, परीक्षा पूर्व और परीक्षा उपरांत की व्यवस्था आदि सभी मामलों की देख–रेख क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है तथापि नीतिगत मामले मुख्यालय को भेजे जाते हैं।

Jurisdiction

The jurisdiction of the Board is extensive and stretches beyond the national geographical boundaries. As a result of the reconstitution, the erstwhile' Delhi Board of Secondary Education' was merged with the Central Board and thus all the educational institutions recognized by the Delhi Board also became a part of the Central Board. Subsequently, all the schools located in the Union Territory of Chandigarh. Andaman and Nicobar Island, Arunachal Pradesh, the State of Sikkim, and now Jharkhand, Uttaranchal and Chhattisgarh have also got affiliation with the Board. From 309 schools in 1962 the Board today has 11511 schools on 31-3-2011 including schools in 24 countries. There are 959 Kendriya Vidyalayas, 1879 Government Schools, 8103 Independent Schools, 553 Jawahar Navodaya Vidyalayas and 17 Central Tibetan Schools.

Decentralisation

In order to execute its functions effectively Regional Offices have been set up by the board in different parts of the country to be more responsive to the affiliated schools. At present the board has eight regional offices in Allahabad, Ajmer, Chennai, Guwahati, Panchkula, Patna, Bhubaneshwar and Delhi. Schools located outside India are looked after by Regional Office Delhi. The detailed jurisdiction of regional offices of CBSE is mentioned in appendix XXVI. The Headquarter constantly monitors the activities of the Regional Offices. Although, sufficient powers have been vested with the Regional Offices, issues involving policy matters are, however, referred to the Head Office. Matters pertaining to day-to-day administration, liaison with schools, pre and post examination arrangements are all dealt with by the respective regional offices.

प्रमुख कार्यकलाप एवं उद्देश्य

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कतिपय परस्पर संबंधित उदेश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी।

- कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित करने एवं परीक्षाओं से सबंधित शर्ते निर्धारित करने हेतु।
- सम्बद्ध विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों को अर्हता प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए।
- उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिनके माता–पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों।
- परीक्षाओं के लिए अनुदेश पाठ्यक्रमों का निर्धारण करने तथा इन पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के लिए।
- परीक्षा प्रयोजन हेतु विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए तथा देश के शैक्षिक प्रतिमानों को ऊँचा उठाने के लिए।

बोर्ड के कार्यकलापों का मुख्य केन्द्र

- विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी केंद्रित प्रमिमान स्थापित करते हुए अध्यापन अधिगम प्रणालियों का नवीनीकरण करना।
- परीक्षाओं व मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करना।
- कार्योंनमुख एवं कार्यों से संबंधित आगतों द्वारा कौशल अधिगम प्रदान करना।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं इत्यादि के आयोजन द्वारा अध्यापकों एवं प्रशासकों को नियमित रूप से अद्यतन शैक्षिक कौशल प्रदान करना।

Major Activities and Objectives

The Central Board of Secondary Education was set up to achieve certain interlinked objectives:

- To prescribe conditions of examinations and conduct public examination at the end of Class X and XII.
- To grant qualifying certificates to successful candidates of the affiliated schools.
- To fulfill the educational requirements of those students whose parents were employed in transferable jobs.
- To prescribe and update the courses of instructions of examinations.
- To affiliate institutions for the purpose of examination and raise the academic standards of the country.

The Prime Focus of the Board is on

- Innovations in teaching-learning methodologies by devising student friendly and student centered paradigms.
- Reforms in examinations and evaluation practices.
- Skill learning by adding job-oriented and job-linked inputs.
- Regularly updating the pedagogical skills of the teachers and administrators by conducting in service training programmes, workshops etc.

बोर्ड की संरचना

Structure of the Board

बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा इनको सहयोग देने के लिए पांच विभागाध्यक्ष जैसे सचिव, निदेशक (शैक्षणिक), परीक्षा नियंत्रक, निदेशक (एडूसेट, शोध विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा) तथा निदेशक (विशेष परीक्षा) हैं। सचिव (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार बोर्ड के नियंत्रक प्राधिकारी हैं और वे अध्यक्ष तथा अन्य विभागाध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं।

सचिव, सीबीएसई प्रशासन, लेखा परीक्षा तथा लेखा, जन संपक्र, विधि तथा विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं।

निदेशक (शैक्षणिक) अकादमिक यूनिट के प्रमुख हैं। इस यूनिट का प्रमुख कार्य माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक तथा व्यावसायिक सभी विषयों का पाठ्यचर्या विकसित करना, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, अध्यापकों तथा छात्रों के निर्देशन के लिए सहायक सामग्री विकसित करने के लिए अध्यापकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करना और शैक्षणिक परियोजनाओं का अनुवीक्षण करना है।

परीक्षा नियंत्रक परीक्षा से संबंधित सभी मामलों तथा परीक्षाओं के प्रशासन, मुख्य रूप से परीक्षा के पूर्व व पश्च कार्य, अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल

The Chairman is the Chief Executive of the Board and is assisted by five Heads of Departments i.e. the Secretary, the Director (Academic), the Controller of Examinations, the Director (Edusat, Research Development and Vocational Education) and the Director (Special Examinations). The Secretary (School Education and Literacy), Ministry of Human Resource Development, Government of India is the Controlling Authority of the Board and appoints the Chairman and other Heads of Departments

The Secretary, CBSE, is the Chief Administrative Officer and responsible for the matters relating to Administration, Audit and Accounts, Public Relations, Legal and grant of affiliation to schools.

The Director (Academic) is the Head of the Academic Unit. The major functions of the unit include developing the curriculum for all the subjects in academic and vocational streams at the Secondary and Senior Secondary levels, to organize teacher's training workshops, to develop support material for the guidance of the teachers and students, to publish text books for Secondary and Senior Secondary classes and monitoring the academic projects.

The Controller of Examinations is responsible for all matters concerning examinations and administration of examinations, the major areas being pre and post examination work,

प्रवेश परीक्षा तथा वार्षिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं ।

निदेशक (एडूसेट, शोध विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा) इसके द्वारा छोड़े गये उपग्रह के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों तथा व्यावसायिक विषयों के पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

निदेशक (विशेष परीक्षा) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा इत्यादि से संबंधित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी है।

संगठनात्मक संरचना

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट –'ए' में दिया गया है।

बोर्ड में दिनांक 31.03.2011 को समूहवार स्वीकृत पदों की संख्या निम्नलिखित है।

co-ordination with Regional Offices for conducting annual and compartmental Secondary and Senior School Certificate Examinations and All India Pre-Medical/Pre-Dental Entrance Examination.

The Director (Edusat, Research Development and Vocational Education) is responsible for all matters concerning Distance Education through Education Satellite launched by Indian Space Research Organisation (I.S.R.O.) and designing of curriculum etc. for vocational subjects.

The Director (Special Examinations) is responsible for all matters concerning the All India Engineering Entrance Exams. and Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test etc.

Organogram

The organizational structure of the CBSE is given in Annexure –'A'

The group-wise sanctioned strength of the staff of the Board as on 31.03.2011 is as follows:

वर्ग/**Group**	संख्या/**Number**
'क' 'A'	133
'ख' 'B'	118
'ग' 'C'	634
'घ' 'D'	147
कुल/Total	**1032**

Appendix -A

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना
Organisational Structure of the CBSE

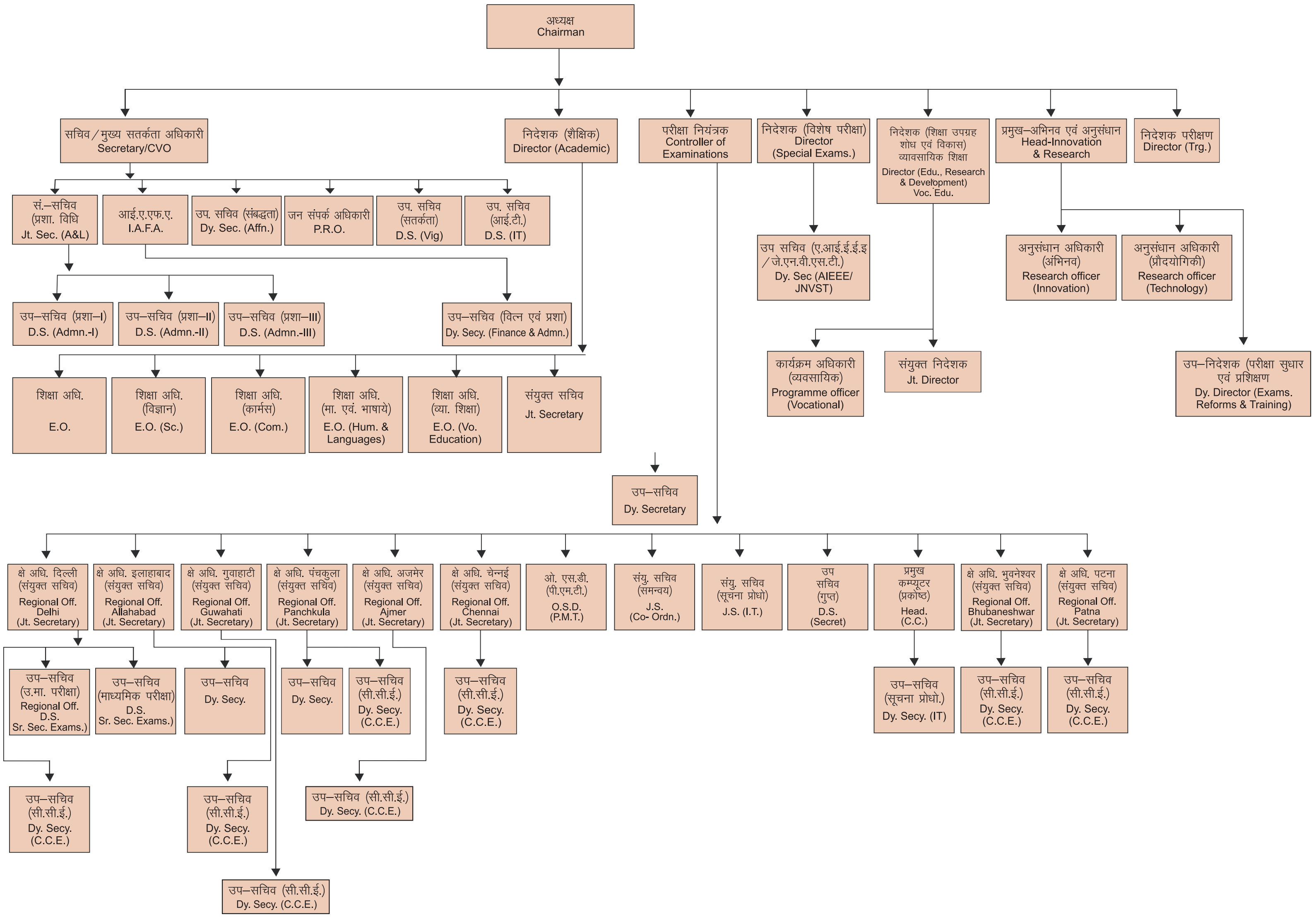

शैक्षिक सहभागिता
Academic Partnerships

राष्ट्रीय एवं अतंरराष्ट्रीय उदीयमान आयामों की दृष्टि से बोर्ड शैक्षिक आदान–प्रदान और सहभागिता को बढ़ावा देता है। बोर्ड के अध्यक्ष निम्नलिखित राष्ट्रीय शैक्षिक निकायों के सलाहकार मंडल के सदस्य हैं:

- दिल्ली विश्वविद्यालय
- जामिया मिलिया इस्लामिया
- संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद्
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)
- जवाहर नवोदय समिति
- राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा संचालन समिति
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस)
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद् (सीओबीएसई)
- राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)

बोर्ड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका के शिक्षा बोर्डों, युनेस्को, आईबीई तथा यूएनएफपीए जैसी एजेंसियों को भी सहयोग एवं सहभागिता प्रदान करता है।

Academic exchanges and partnerships are encouraged in view of the emerging national and international dimensions. Chairman CBSE is a member on the Advisory Panel of many national educational bodies like:

- University of Delhi
- Jamia Millia Islamia
- Joint Council of Vocational Education
- National Council of Teacher Education
- Association of Indian Universities
- National Council for Educational Research and Training (NCERT)
- Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)
- Jawahar Navodaya Samiti
- National Steering Committee on Population Education
- National Institute of Open Schooling (NIOS)
- Council of Boards of Secondary Education (COBSE)
- National University of Educational Planning and Administration (NUEPA)

CBSE also collaborates with Education Boards of Nepal, Bhutan, Bangladesh, South Africa and agencies like UNESCO, IBE, UNFPA.

सूचना अधिकार अधिनियम

Right to Information Act

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5(2) के अनुपालन हेतु एवं आज्ञापक उपबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीबीएसई ने समुचित व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत जन संपक्र अधिकारी को मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को क्षेत्रों के अपीलीय अधिकारी एवं सहायक सचिवों को जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किया गया है। जन संपक्र एकक में जन सूचना काउंटर गठित किया गया है। यह काउंटर सभी कार्यदिवसों में कार्यालय घण्टों के दौरान कार्यरत है। इसी प्रकार, जन सूचना अधिकारियों के सीधे निरोक्षगाधीन जन सूचना केन्द्र सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी गठित किए गए हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किये गये आवेदनों/अपीलों का विवरण निम्नलिखित हैः

प्राप्त किए आवेदन	2093
आवेदनों की उत्तर संख्या	2093
प्राप्त प्रथम अपीलें	179
अपीलों की उत्तर संख्या	179
आरटीआई त्रैमासिक रिपोर्ट	4
आरटीआई मासिक रिपोर्ट	12
आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट	1

इस अवधि के दौरान तिमाही रिपोर्ट तैयार की गई और केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजी गई इसके साथ ही प्राप्त हुए केसों को जन सूचना के लिये बोर्ड की वेबसाइट पर डाला गया। तैनात अधिकारियों की सूची सीबीएसई वेबसाईट और परिशिष्ट – XXIV में भी दी गई है।

In compliance with section 5(2) of the Act, effective operationalisation of the mandatory provisions of the RTI Act, have been ensured in CBSE. The public Relations Officer has been appointed as the Chief Public Information Officer (CPIO). All the Heads of the Department have been designated as the Appellate Authority. In addition, all the Regional Officers have been appointed as the Appellate Authorities for the Regions and the Assistant Secretaries have been appointed as Public Information Officers (PIO) in the regions. Public Information Counter has been set up in the Public Relations Unit. This counter functions during officer hours on all working days. Public Information Counters have also been set up in the Regional Offices under direct supervision of Public Information Officers.

The details of applications and appeals received during the period under report are:

No. of applications received	2093
No. of applications replied	2093
No. of appeals received	179
No. of appeals disposed off	179
No. of Quarterly Reports	4
No. of Monthly Reports	12
No. of Annual Report	1

During this period, quarterly reports were compiled and sent to Central Information Commission. Information was also put up on CBSE Website for public information. The list of designated officers has been displayed at CBSE website and also given in Appendix XXIV.

लोक शिकायतों का निवारण

लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ 1993 में गठित किया गया था। यह प्रकोष्ठ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लोक शिकायतों का निरंतर अनुवीक्षण करता है और लोक शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करता है। बोर्ड के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न ''बैठक रहित दिवस'' के रूप में रखा जाता है जिसमें जनता अपनी समस्याएं, सीधे ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिल कर सुलझा सकती है। बोर्ड द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय तथा लोक शिकायत निदेशालय, मंत्री मंडल सचिवालय को लोक शिकायतों की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाती है। प्रसंगाधीन समय के दौरान कुल 66 शिकायतें प्राप्त हुई और उनका निपटान उचित समय सीमा में शिकायतकर्ता के पक्ष में किया गया।

अनाचार प्रकोष्ठ

लोक शिकायत निवारण के अतिरिक्त बोर्ड का जन संपक्र एकक अनाचार प्रकोष्ठ का भी अनुवीक्षण करता है जिसका गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट संगठनों और संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों पर नज़र रखना है। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिक समाचार–पत्रों मे छपे, गुमराह करने वाले विज्ञापनों का भी अनुवीक्षण करता है और अन्य जन स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की भी तत्परता से जांच करता है। विद्यालयों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उनकी मान्यता रद्द करने, दर्जे को कम करने की सूचना आम जनता को जागरूक करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा दी जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 7 मामले प्राप्त हुये।

Redressal of Public Grievances

The cell for the redressal of public grievances was set up in 1993. This cell constantly monitors public grievances received from different sources and ensures timely disposal of public complaints. Every week Wednesday forenoon is observed as 'Meetingless Day' in the Board's head office and Regional offices when the public can directly approach senior officers regarding grievances, if any. Monthly and quarterly reports on the public grievances are sent to the Ministry of HRD and to the Deptt. of Public Grievances, Cabinet Secretariat by the Board. 66 complaints in total were received during the period under report and settled in favour of the complainant with in a reasonable time frame.

Malpractice Cell

Besides the public grievance redressal the public relations unit of the board also monitors malpractice cell, which has been set up under the aegis of MHRD, Govt. of India. The main objective of the cell is to keep a vigilant watch on educational activities of private organizations and institutions. The cell monitors misleading advertisements appearing in national, regional dailies and also verifies complaints received from other public sources promptly. Cases of disaffiliation, down gradation of schools because of irregularities committed by the schools are also highlighted through media for generating public awareness. 7 cases was received during the period under report.

प्रशासनिक परिवर्तन
Administrative Changes

1. डा0 (श्रीमती) वीरा गुप्ता ने दिनांक 07.12.2010 से बोर्ड के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया।
2. डा0 (श्रीमती) साधना पराशर, शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई को सीसीई यूनिट का कार्यभार सौपा गया और प्रमुख (नवाचार एवं शोध) के रूप में पुनः पदनामित किया गया है।
3. श्री टी.डी. सुदर्शन राव ने बोर्ड में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य ग्रहण किया।
4. निम्नलिखित व्यक्ति बोर्ड में सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्त हुएः

श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी	सहायक सचिव
श्री करनैल सिंह	सहायक सचिव
श्री अजय कुमार	स्वागत अधिकारी
श्री तरूण कुमार	सहायक सतर्कता अधिकारी

5. श्री यश मक्कड़, ने संप्रत्यवर्तन होने पर सीबीएसई में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
6. बोर्ड के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी डेस्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गए

   श्री मोहन लाल
   श्री गुलशन शर्मा
   श्री राजेश सेठी
   श्री रामेश्वर दास
   श्री थोन्कोलेट मेट

1. Dr. (Smt.) Veera Gupta took over as the Secretary, CBSE with effect from 07.12.2010.
2. Dr. (Smt.) Sadhana Parashar, Education Officer, was re-designated as Head (Innovation & Research) under CCE.
3. Sh. T. D. Suderdshan Rao joined the Board as Joint Secretary on deputation.
4. The following persons were appointed through direct recruitment in the Board:

Sh. Jaiprakash Chaturvedi	Assistant Secretary
Sh. Karnail Singh	Assistant Secretary
Sh. K. Srinivasan	Assistant Secretary
Sh. Ajay Kumar	Reception Officer
Sh. Tarun Kumar	Assistant Vigilance Officer.

5. Sh. Yash Makkar, who was on deputation to other department joined back as Section Officer after repatriation.
6. The following Section Officers of the Board were appointed as Desk Officers

   Sh. Mohan Lal
   Sh. Gulshan Sharma
   Sh. Rajesh Sethi
   Sh. Rameshwar Dass
   Sh. Thongkholet Mate

अतिरिक्त समनुदेशन

1. श्रीमती रमा शर्मा जन सम्पक्र अधिकारी को पीआईओ आरटीआई (सबंद्धता) का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया।

2. श्री जोसफ इमेनुअल, उपसचिव (संबद्धता) को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी का उत्तरदायित्व सौपा गया।

3. श्री अजय मिश्रा, उप–वित सलाहकार सीबीएसई को उपसचिव (शैक्षणिक) का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया।

4. श्री आर. सुन्दरम, सहायक सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, सीबीएसई, चेन्नई को क्षेत्रीय अधिकारी, चेन्नई का कार्य सौंपा गया।

विदाई

1 निम्नलिखित अधिकारी जो सीबीएसई में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे अपने मूल विभाग प्रत्यावर्तित हो गएः

श्री पी.वी. साई रंगा राव, शिक्षा अधिकारी

श्री एस. आनन्दन, उप–सचिव (सतक्रता)

श्रीमती नीलम गौतम, वरिष्ठ लेखा अधिकारी

श्री ज्ञान रंजन साहू, कनिष्ठ लेखा अधिकारी

2 सुश्री मीनाक्षी जैन, सहायक शिक्षा अधिकारी को बोर्ड की सेवाओं से कार्य मुक्त किया गया ।

Additional Assignment

1. Smt. Rama Sharma Public Relations Officer was assigned additional work of PIO RTI (affiliation).

2. Sh. Joseph Emmanuel, Deputy Secretary (Affiliation) has been assigned additional duties of Executive Officer to Chairman.

3. Sh. Ajay Mishra, Deputy Financial Adviser, CBSE has been assigned the additional duties of Deputy Secretary (Acadmic).

4. Sh. R. Sundram, Assistant Secretary, Regional Office, CBSE, Chennai was assigned the duties of Regional Officer, Chennai.

Farewell

1 The following officers who were working in the CBSE on deputation have been repatriated to their parent department:

Sh. P.V. Sai Ranga Rao, E.O.

Sh. S. Anandan, Dy. Secy. (Vig.).

Smt. Neelam Gautam, Sr. A.O.

Sh. Gyan Ranjan Sahu, Jr. A.O.

2 Km. Menaxi Jain, Assistant Education Officer was relieved from the services of the Board

FAREWELL

3 अधिवर्शिता की आयु प्राप्त करने पर निम्नलिखित अधिकारी बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत हुएः

श्री आर. नीलामेगम	संयुक्त सचिव
श्री डी.आर. यादव	संयुक्त सचिव
श्री राजेश्वर शर्मा	उप–सचिव
श्री राकेश कुमार शर्मा	सहायक सचिव
श्री एम.सी. कीमोठी	सहायक सचिव

4 निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ने बोर्ड की सेवाओं से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति लीः

श्री कश्मीरी लाल

श्री महेन्द्र सिंह

पदोन्नतियां एवं उन्नयन

बोर्ड द्वारा अपनाई गई भारत सरकार की संशोधित सुनश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपी) के तहत निम्नलिखित अधिकारियों का अगले उच्च मान/ग्रेड में उन्नयन किया गयाः

श्री बी. एम. गुप्ता	मुख्य (कम्पयूटर विभाग)
श्रीमति रमा शर्मा	जन संपर्क अधिकारी
श्री इ. डेनियल राजू	सहायक शिक्षा अधिकारी

संयुक्त सचिव के रूप में

श्री एस. देवदास

श्री राजबीर सिंह

श्री एस.यू. सोरटे

उप–सचिव के रूप में

श्री एम.पी. अरोडा

श्री के.के. जैन

3 The following officers retired from the services of the Board on attaining the age of superannuation :

Sh. R. Neelamegam	Joint Secretary
Sh. D.R. Yadava	Joint Secretary
Sh. Rajeshwar Sharma	Deputy Secretary
Sh. Rakesh Kumar Sharma	Assistant Secretary
Sh. M. C. Kimothi	Assistant Secretary

4 The following Section Officers have taken Voluntary Retirement from the services of the Board :

Sh. Kashmiri Lal

Sh. Mahender Singh

Promotions and Up-gradations

Under the provisions of the Modified Assured Career Progression Scheme (MACP) of Government of India adopted by the board the following officers were up-graded to the next higher scale/grade:

Sh. B.M Gupta	Head (Computer Centre)
Smt. Rama Sharma	Public Relations Officer
Sh. E. Daniel Raju	Assistant Education Officer

As Joint Secretary

Sh. S. Devadas

Sh. Rajbir Singh

Sh. S.U. Sorte

As Deputy Secretary

Sh. M.P. Arora

Sh. K.K. Jain

श्री जे.पी. गर्ग
श्री यू.सी. बोध
श्री जी.एल. मित्तल
श्री राज कुमार
श्री खुशाल सिंह

सहायक सचिव के रूप में

श्रीमती एस. धारीनी अरूण
श्री एम.एल. चौहान
श्री राज कुमार गुप्ता
श्री यश पाल वधवा
श्री करन सिंह
श्रीमती शशी बाला
श्री जगदीश बर्मन
श्रीमती शशी प्रभा
श्री अशोक शर्मा
श्रीमती रजनी सिंधवानी
श्रीमती राज रानी शर्मा
श्री अवनीश कुमार
श्री देवी सिंह निनानिया
श्री जी. चन्द्रा

अनुभाग अधिकारी के रूप में

श्रीमती शशि बजाज
श्री कृष्ण कुमार
श्रीमती रीटा
श्री आनन्द कुमार
श्रीमती बबिता
श्रीमती निशा श्रीवास्तव
श्रीमती उर्मिल गुप्ता
श्री कैलाश कुमार

Sh. J.P. Garg
Sh. U.C. Bodh
Sh. G.L. Mittal
Sh. Raj Kumar
Sh. Khushal Singh

As Assistant Secretary

Smt. S. Dharini Arun
Sh. M.L. Chouhan
Sh. Raj Kumar Gupta
Sh. Yash Pal Wadhwa
Sh. Karan Singh
Smt. Shashi Bala
Sh. Jagdish Barman
Smt. Shashi Prabha
Sh. Ashok Sharma
Smt. Rajni Sindhwani
Smt. Raj Rani Sharma
Sh. Abnish Kumar
Sh. Devi Singh Ninania
Smt. G. Chandra

As Section Officer

Smt. Shashi Bajaj
Sh. Krishan Kumar
Smt. Rita
Sh. Anand Kumar
Smt. Babita
Smt. Nisha Srivastava
Smt. Urmil Gupta
Sh. Kailash Kumar

श्रीमती सीमा लाकरा
श्री राकेश शर्मा
श्रीमती सनिग्धा घोश
श्री शेखर चन्द्रा
श्री दिनेश राम
श्री आसे राम शर्मा
श्री प्रमोद सपरा
श्रीमती अनिता शुक्ला
श्रीमती अरविन्द्र कोर
श्रीमती पुष्पा अरोड़ा
श्री राजीव बरूआ
श्री नरेन्द्र सैनी
श्री गोपाल राम
श्री राम कुमार शर्मा
श्री अनिल कुमार बजाज
श्री वासुदेव हरित

सहायक प्रोग्रामर के रूप में

श्रीमती एम विजयलक्ष्मी
श्री सी रवि

Smt. Seema Lakra
Sh. Rakesh Sharma
Smt. Snigdha Ghosh
Sh. Shekhar Chandra
Sh. Dinesh Ram
Sh. Ase Ram Sharma
Sh. Pramod Sapra
Smt. Anita Shukla
Smt. Arvinder Kaur
Smt. Pushpa Arora
Sh. Rajib Barua
Sh. Narender Saini
Sh. Subhash Chander
Sh. Gopal Ram
Sh. Ram Kumar Sharma
Sh. Anil Kumar Bajaj
Sh. Vasu Dev Harit

As Assistant Programmer

Smt. M. Vijayalaxmi
Sh. C. Ravi